

Secy (A)

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

PS/CMD/IT/RR. 2132

Date 20/7/16

20 JUL 2016

क्रमांक: 1(17)ऊर्जा/2008 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 19.7.16

23a

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लि०,
जयपुर

प्रबन्ध निदेशक,

जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०,

जयपुर/अजमेर/जोधपुर

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लि०

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि०

जयपुर

वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक,

विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर,

R.R. No. JDP/RVPNJ. 1700

Dated. 21-7-16

Secy (A) 781
21-7-16

विषय: राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2016 (15 अगस्त 2016) के अवसर पर योग्यता प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत।

संदर्भ: विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 1(17)ऊर्जा/2008 पार्ट दिनांक 20.6.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 1(17)ऊर्जा/2008 पार्ट दिनांक 20.6.2016 आगामी स्वाधीनता दिवस समारोह-2016 के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किये जाने वाले योग्यता प्रमाण-पत्र के प्रस्ताव दिनांक 20.07.2016 से पूर्व इस विभाग को भिजवाने के लिए लिखा गया था। परन्तु आदिनांक तक उक्त सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः पत्र पर शीघ्र कार्यवाही कर विभाग को सूचना दिनांक 20.7.2016 तक भिजवाने का श्रम करावें

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(गोपाल जसोरिया)

शासन उप सचिव, ऊर्जा

DP
21/7/16

O.M.

J.D.P

R.R. No. JDP/RVPWJ. 1616
Dated. 15/7/16

PS/CMD/ITRR

Date

2018

14/7/16

233

राजस्थान सरकार
राजकीय उपक्रम विभाग

Secy (A)

14 JUL 2016

राजकीय उपक्रम ब्यूरो

विषय:- राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2016 (15 अगस्त 2016) के अवसर पर योग्यता प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत।

Secy (A) 753
15-7-16

आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त, 2016 को आयोजित किया जावेगा। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र स्वीकृति नियम 1990 के अधीन राजकीय उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष में योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जावेंगे, जिनके लिए प्रस्ताव संदेव की भांति विचारार्थ अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन नियोजित राजकीय उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में उनके कैरियर के संबंध में विवरण तथा राजकीय कर्मचारी की सेवाएँ किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रशासनिक सचिव की टिप्पणी एवं संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में (छः प्रतियों में) दिनांक 20.07.2016 तक अवश्यमेव राजकीय उपक्रम ब्यूरो को भिजवाया जावे ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

प्रस्ताव भिजवाते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर इन्हें पूरा करके ही प्रस्ताव भेजा जावे अन्यथा प्रस्ताव पर विचार किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा-

1. प्रस्ताव प्रशासनिक सचिव की सिफारिश व संबंधित मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर भेजें।
2. प्रस्ताव के साथ गत सात वर्षों (यथा वर्ष 2009-2010 से 2015-16 तक) के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन परमावश्यक रूप से भेजे। विभाग द्वारा अपने स्तर पर परीक्षण किया जाकर न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन "उत्कृष्ट" श्रेणी तथा शेष "बहुत अच्छा" श्रेणी के होने पर ही प्रस्ताव प्रेषित किये जायें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. प्रस्ताव छः प्रतियों में प्रेषित करें।
4. प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियां पूर्ण करें।
5. प्रस्ताव के साथ प्रशस्ति पत्र हिन्दी भाषा में छः प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें।
6. एक विभाग/संस्था से केवल एक ही अधिकारी/कर्मचारी का प्रस्ताव भेजें।

P.O.(M)

J.D.P. 15/7

15/7

7. प्रपत्र में कालम 5 भी गोपनीय प्रतिवेदन देखकर प्रमाणित करें।

8. जिनको पूर्व में योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा चुका है, उनके प्रस्ताव नहीं भेजें तथा प्रत्येक प्रस्ताव भेजते समय यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।

9. प्रस्ताव अ.शा. टीप के साथ यह उल्लेख करें कि "इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पिछले 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है" प्रेषित किये जावें।

प्राप्त प्रस्तावों पर गठित समिति विचार-विमर्श कर योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु नामों की सिफारिश करेगी।

svj
(सुभाष चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/संयुक्त सचिव,
.....विभाग।

अ. शा. टीप एफ2(1)बीपीई/02/भाग-III/वॉ-2/2015/503
जयपुर, दिनांक 12/7/2016

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशकRRVPNL..... को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में प्रस्ताव अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही इस विभाग को प्रेषित करें। सीधे आने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार का विचार किया जाना संभव नहीं होगा। कोई भी अधिकारी अपने स्वयं के प्रस्ताव स्वयं अपने स्तर से तैयार कर प्रेषित नहीं करेंगे। ये प्रस्ताव उनके उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही तैयार कर प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रस्ताव निर्धारित समय निकल जाने के पश्चात् स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

2
11/7/16
संयुक्त शासन सचिव

राजकीय उपकर्मों के अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के साथ दी जाने वाली सूचना।

1. (क) नाम
(ख) पद नाम, पे बैण्ड, वर्तमान वेतन एवं ग्रेड पे सहित
(ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गए पद
(घ) सेवा का नाम राजपत्रित/अराजपत्रित
(ङ) घर का पता
(च) टेलिफोन नम्बर (निवास/कार्यालय)/मोबाईल नं.(यदि कोई हो तो)
2. जन्म तिथि
3. सरकारी सेवा में प्रवेश की दिनांक
4. ऐसे कार्यों से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी को चयन के लिए विचार किया गया है।
5. विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र
क)अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है।
ख) अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में दंडित नहीं किया गया है।
6. विभागा द्वारा अप्रेषण टिप्पणी।
7. प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा।
8. पूर्व में यदि योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है तो उनका विवरण:
9. अन्य कोई सुसंगत सूचना।

विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर